मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ. 4-4/2014/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—पंचायत समन्वय अधिकारी को स्थायी यात्रा भत्ता स्वीकृत करने के संबंध में.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत सभी पंचायत समन्वय अधिकारियों को उन्हें आवंटित क्षेत्राधीन ग्राम पंचायतों के सतत निरीक्षण करना होता है. अतः इसे दृष्टिगत रखते हुए पंचायत समन्वय अधिकारियों को रु. 300/- (तीन सौ केवल) प्रतिमाह स्थायी यात्रा भत्ता की पात्रता निर्धारित की जाती है.

2. मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियमों में वर्णित स्थायी यात्रा भत्ता की शर्तें यथावत् लागू होगी.

3. यह आदेश दिनांक 1 नवम्बर, 2014 से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(मनीष रस्तोगी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.